कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (प्रोजेक्ट)
रिवर साइड पावर हाउस, केस्को, कानपुर
Mob. No-9151895665 Email:-se.project@kesco.org.in

पत्रांक : 2136 / अधी0अभि0 (प्रोजेक्ट) / केस्को / 2025 दिनांक : 03 / 10 / 2025

विषय :– केस्को क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्व मे स्थापित क्षतिग्रस्त सी–टाइप पैनल से चोरी रोकने हेतु माडल–1 के अनुसार रेट कान्ट्रेक्ट पर कार्य कराये जाने सम्बन्ध में।

ई–मेल द्वारा

1. मेसर्स कामदगिरी ट्रेडर्स, 125/45–ए, के–ब्लाक, गोविन्द नगर, कानपुर।
2. मेसर्स दीक्षित कन्सट्रक्शन कं0, 117/805, एम–ब्लाक, काकादेव, कानपुर।
3. मेसर्स वी0के0 फैब्रीकेटर्स एण्ड इरेक्टर्स, 235–सी, स्वराज नगर, पनकी, कानपुर
4. मेसर्स खान ट्रेडर्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स वर्क्स, ब्लाक–सी 577, यशोदा नगर, कानपुर।
5. मेसर्स अली एण्ड सन्स कंस्ट्रक्शन, 101/302, कर्नलगंज, कानपुर।
6. मेसर्स ब्रॉट इंजीनियर, 77, इन्द्रापुरी, शारदा नगर, कानपुर।
7. मेसर्स एस0ए0 इण्टरप्राइजेज, 4/1 बेगम पुरवा, सफेद कालोनी, कानपुर।
8. मेसर्स कोनेरा डेवेलपर्स, 20–बी, श्याम विहार, हंसपुरम, नौबस्ता, कानपुर।
9. मेसर्स गंगा ट्रेडर्स 25ए–0–1, देवकी नगर, यशोदा नगर, कानपुर।
10. नोटिस बोर्ड।

कृपया उपरोक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक महोदय के दिनांक 17.09.2025 के अनुमोदनोपरान्त केस्को क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्व मे स्थापित क्षतिग्रस्त सी–टाइप पैनल से चोरी रोकने हेतु माडल–1 के अनुसार रेट कान्ट्रेक्ट पर कार्य कराये जाने का विवरण निम्नवत् है :–

ABSTRACT OF COST FOR C-PANEL (MODEL-0I) AT VARIOUS PLACES UNDER KESCO KANPUR

S.NO.	DESCRIPTION OF WORK	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1	OLD C-PANNEL DISMENTALING WORK	1	JOB	500.00	500.00
2	PROVIDING GI PIPE (50 mm)	1	MTR	205.00	205.00
3	PROVIDING GI PIPE (90mm)	1	MTR	255.00	255.00
4	PROVIDING PANNEL (2mm CRCA SHEET) AS PER DIRECTION OF ENGINEER IN CHARGE	1	JOB	9600.00	9600.00
5	INSTALATION OF C-PANEL ALONG WITH RECONNECTION OF CONSUMER CABLES	1	JOB	2635.00	2635.00
	AMOUNT				**13195.00**
	GST AND LABOUR CESS EXTRA AS PER RULE				

अतः उक्त पत्र के साथ संलग्न केस्को से स्वीकृत जी0टी0पी0 इस आशय से प्रेषित है कि संदर्भित कार्य वर्णित दरों पर यदि आपकी फर्म कार्य करने की इच्छुक हो तो दिनांक 04.10.2025 समय सायं 5:00 बजे तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे उक्त के सम्बन्ध मे अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

Scanned with OKEN Scanner

नियम व शर्ते :–

1. विद्युत सुरक्षा उ0प्र0 शासन द्वारा जारी वैध इलेक्ट्रिकल ए–क्लास लाइसेंस।
2. फर्म की जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की प्रति।
3. फर्म की पैन कार्ड की प्रति।
4. फर्म का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी हैसियत प्रमाण–पत्र।
5. फर्म को किसी भी सरकारी/अर्द्ध–सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्थानीय निकाय आदि मे काली सूची मे नही होना चाहिये/व्यवसाय से वंचित नही होना चाहिये, के सम्बन्ध मे स्टॉम्प पेपर पर प्रमाण पत्र।
6. फर्म द्वारा किसी सरकारी/अर्धसरकारी संस्था मे इलेक्ट्रिकल अनुभव प्रमाण पत्र। (नवीनतम 5 वर्ष)
7. फार्म–ए से सम्बन्धित समस्त नियम व शर्ते की सहमति।
8. नवीनतम तीन वर्षो की बैलेन्स शीट एवं आई0टी0आर0 की प्रति (बैलेन्स शीट सी0ए0 द्वारा सत्यापित हो एवं यू0डी0आई0एन0 अंकित हो)।
9. सी–टाइप पैनल बॉक्स का Pre Dispatch Inspection केस्को से अनिवार्य रूप से कराया जायेगा एवं फर्म द्वारा Inspection हेतु जो लॉट ऑफर की जायेगी उसका 5 प्रतिशत सैम्पल के तौर पर Inspection किया जायेगा।
10. पैनल लगाने की तिथि से एक वर्ष की मेन्टिनेंस गारन्टी की सहमति प्रदान करनी होगी।
11. फर्म को आवंटित कार्य का 10 प्रतिशत सिक्योरिटी धनराशि जमा करना होगा, जिसे कार्य पूर्ण होने से छः माह उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।
12. उक्त कार्य से सम्बन्धित निर्धारित की गयी दरें अपरिवर्तनीय रहेगी।
13. साइट पर जो भी संयोजन, बॉक्स मे जोड़े जायेगे उसका विवरण सॉफ्ट एवं हार्ड कापी में प्रतिदिन अधिशासी अभियन्ता (वर्क्स) को टैगिंग हेतु प्रेषित किया जायेगा एवं जोड़े जाने वाले उपभोक्ताओं की खाता संख्या सी–टाइप पैनल बॉक्स के अन्दर डोर पर अंकित की जायेगी तथा तकनीकी वर्टिकल के सहयोग से सभी सी–टाइप पैनल की मार्किंग की जायेगी।
14. बीजकों के भुगतान सम्बन्धी मापन की कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता (वर्क्स) द्वारा की जायेगी।
15. फर्म द्वारा सप्लाई करने पर 60 प्रतिशत, कार्यपूर्ण करने पर 30 प्रतिशत एवं कार्य हैंडओवर होने पर 10 प्रतिशत का भुगतान दिया जायेगा।
16. फर्म को आवंटित कार्य का निरीक्षण तृतीय पक्ष द्वारा किया जायेगा।
17. उक्त कार्य कराये जाने के सम्बन्ध मे समय–समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
18. जी0एस0टी0 एवं वैधानिक कर नियमानुसार देय होगा।
19. कार्य वितरण का अधिकार केस्को के पास सुरक्षित होगा।
20. आवंटित कार्य फर्म को कार्यादेश जारी होने की तिथि से 4 माह के अन्दर पूर्ण कराना होगा।
21. फर्म द्वारा कार्य की गुणवत्ता का अनुपालन न कराये जाने एवं ससमय कार्य पूर्ण न करने की स्थिति मे केस्को को अधिकार होगा कि आवंटित कार्य को समाप्त करते हुये कार्यदायी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
22. यदि कार्यदायी संस्था निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण करने मे विफल रहता है तो प्रति सप्ताह ½ प्रतिशत (अधिकतम 10 प्रतिशत) की दर से बीजक से कटौती कर ली जायेगी।
23. केस्को एवं कार्यदायी संस्था के बीच कोई भी विवाद माननीय न्यायालय, कानपुर एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

<u>संलग्नक</u>–सी–टाइप पैनल बॉक्स का तकनीकी विवरण एवं ड्राइंग की छायाप्रति।

(अंकित कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता (प्रोजेक्ट)

पत्रांक: 2136/अधी0अभि0 (प्रोजेक्ट)/केस्को/2025 दिनांक: 03.10.2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रवन्ध निदेशक महोदय, केस्को, कानपुर।
2. निदेशक (तकनीकी), केस्को, कानपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता (तकनीकी) केस्को, कानपुर।
4. अधिशासी अभियन्ता (वर्क्स), केस्को, कानपुर।

(अंकित कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता (प्रोजेक्ट)

Scanned with OKEN Scanner